

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताईवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "2-ईथाइल हेक्सानाल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 16 20 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. संख्या 360(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपादन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/28/2020-डीजीडीआर, दिनांक 28 अगस्त, 2020, जिसे दिनांक 28 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपादन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/28/2020-डीजीडीआर, दिनांक 8 मार्च, 2021, जिसे दिनांक 8 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का लगातार फालतू आयात हो रहा है और यदि इस शुल्क को हटा लिया जाता है तो बहुत ही सस्ते कीमतों पर इन वस्तुओं का भारतीय बाजार में प्रवेश हो जाएगा;
- (ii) यद्यपि आधार वर्ष से लेकर 2018-19 तक घरेलू उद्योगों के काम-काज में सुधार आया है, फिर भी जांच अवधि के दौरान इस काम-काज को नुकसान भी हुआ है और इस प्रकार विषयगत देशों से इन विषयगत वस्तुओं की भरमार के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की संभावना बनी रही है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसको क्षति हो सकती है;
- (iii) रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह जाहिर होता है कि इसकी भरमार जारी रह सकती है अथवा फिर से हो सकती है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है विषयगत वस्तु पर आगे भी प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	बीएएसएफ पैट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया	53.63	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 के उत्पादक से भिन्न कोई भी	107.30	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

3.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	107.30	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी.टी. पैट्रो ओक्सो नुसानतरा, इंडोनेशिया	45.67	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 4 के उत्पादक से भिन्न कोई भी	127.82	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	127.82	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ समेत कोई भी देश	(i) ओ क्यू केमिकल्स प्रोडक्शन जीएमबीएच एंड कंपनी, केजी, जर्मनी (ii) ओ क्यू केमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी	45.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	29051620	2-ईथाइल	यूरोपीय	यूरोपीय	क्रम संख्या	113.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी

		हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	संघ	संघ समेत कोई भी देश	7 के उत्पादकों से भिन्न कोई भी			डॉलर
9	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	113.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	15.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	15.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	ताइवान	ताइवान समेत कोई भी देश	कोई भी	42.45	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	ताइवान	कोई भी	42.45	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी	संयुक्त राज्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	29.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		रूपों और ग्रेड के	अमेरिका	समेत कोई भी देश				
15	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	29.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या 354/264/2015-टीआरयू (पार्ट-1)]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार